न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 890/2022

अनवान : –

1. शकुंतला पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

—वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :— 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 58/51 के प0न0 304/407 मु0न0 148 के किला न0 15, 16 प0न0 305/407 मु0न0 149 के किला न0 11, 12, 19, 20, 22 की कुल तादादी 1.7710है0 कृषि भूमि वादीया के पति औमप्रकाश पुत्र मदनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में औमप्रकाश पुत्र मदनलाल के नाम से दर्ज है जो वादीया का पति है। औमप्रकाश पुत्र मदनलाल का देहान्त हो चुका है अतः वादीया औमप्रकाश की पत्नी होने के कारण प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। औमप्रकाश पुत्र मदनलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया है जो औमप्रकाश पुत्र मदनलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में रोही मौजाा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खाता स0 58/51 नकल जमाबंदी ईएक्सपी–1, मृत्यु प्रमाण पत्र ओमप्रकाश चित्रप्रति ईएक्सपी–2, शपथ पत्र वादीया व सजरा खानदान ईएक्सपी–3 आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:48:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया के पति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पति के मृत्यु उपरान्त वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

पेरोकार राज ने बहस में निवेदन किया की वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वाद का निस्तारण राज्य हितों को सुरक्षित रख कर किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 58/51 के प0न0 304/307 मु0न0 148 के किला न0 15, 16 प0न0 305/407 मु0न0 149 के किला न0 11, 12, 19, 20, 22 की कुल तादादी 1.7710है0 कृषि भूमि वादींया के पति औमप्रकाश पुत्र मदनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, औमप्रकाश पुत्र मदनलाल फौत हो चुका है अतः उक्त वाद भूमि विरासतन कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 58/51 के प0न0 304/407 मु0न0 148 के किला न0 15, 16 प0न0 305/407 मु0न0 149 के किला न0 11, 12, 19, 20, 22 की कुल तादादी 1.7710है0 कृषि भूमि औमप्रकाश पुत्र मदनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में औमप्रकाश पुत्र मदनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:48:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 890 / 2022

अनवान : –

1. शकुंतला पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 58 / 51 के प0न0 304 / 407 मु0न0 148 के किला न0 15, 16 प0न0 305 / 407 मु0न0 149 के किला न0 11, 12, 19, 20, 22 की कुल तादादी 1.7710है0 कृषि भूमि औमप्रकाश पुत्र मदनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में औमप्रकाश पुत्र मदनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:48:54 IST
Reason: SelfAttested